



बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन  
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित  
विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

अब्दुल बारी सिद्दिकी  
वित्त मंत्री

फरवरी, 2017

## विषय सूची

पृष्ठ

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	1-7
(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	8-16
(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	16-21

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 को 18 फरवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरणों (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण, (ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण और (ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण को रखेगी।

### (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण

#### 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत अवलोकन-

बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के दशक (2004-05 से 2014-15) में तीव्र विकास गति दर्ज हुई थी वह पिछले वर्ष 2015-16 में भी जारी रहा। वर्ष 2016 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2011-12 का आधार वर्ष लेते हुए राष्ट्रीय आय और राज्य की आय के अनुमान के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की नई शृंखला जारी की है। नए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान में आंकड़ों के कुछ नए स्रोतों का भी उपयोग किया गया है। इन नए अनुमानों के अनुसार बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मध्यकालिक वृद्धि दर (2011-12 से 2015-16) 7.6 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दर 6.8 प्रतिशत थी। अभी बिहार देश के सबसे तेज विकास दर वाले राज्यों में से एक है। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका क.1 में प्रदर्शित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना वर्तमान में जानने के लिए पहले सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी०एस०वी०ए०) आकलित किया जाता है तत्पश्चात उत्पादों पर लगे कर को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं।

**तालिका क.1:अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर)**

प्रक्षेत्र	जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० (करोड़ रुपये में)		जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० में हिस्सा (प्रतिशत में)	
	2011-12	2015-16	2011-12	2015-16
<b>अखिल भारत</b>				
प्राथमिक	1762851	2468951	21.7	19.8
द्वितीयक	2374017	3387317	29.3	27.2
तृतीयक	3969789	6595670	49.0	53.0
<b>कुलसकलमूल्यवर्धन(जीवीए)</b>	<b>8106657</b>	<b>12451938</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>बिहार</b>				
प्राथमिक	62265	59832	25.8	19.0
द्वितीयक	45341	58982	18.8	18.8
तृतीयक	134092	195491	55.5	62.2
<b>कुलसकलराजकीयमूल्यवर्धन(जीएसवीए)</b>	<b>241698</b>	<b>314306</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

स्रोत- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

1.1 विगत पाँच वर्षों (2011-12 से 2015-16) की अवधि में अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था की संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 21.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 में घट कर 19.8 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 29.3 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 में 27.2 प्रतिशत होने से 2.1 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गयी है। परन्तु इन दोनों प्रक्षेत्रों में गिरावट के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में 4.0 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है जिसके फलस्वरूप तृतीयक क्षेत्र का योगदान 49.0 प्रतिशत (2011-12) से बढ़कर 53.0 प्रतिशत (2015-16) हो गया है।

बिहार राज्य के अर्थव्यवस्था में भी ढांचागत बदलाव देखा गया है। प्राथमिक प्रक्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2011-12 में 25.8 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 19.0 प्रतिशत हो गया, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 18.8 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 में भी 18.8 प्रतिशत है। बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 55.5 प्रतिशत था जो पहली बार बढ़कर 2015-16 में 60.0 प्रतिशत को पार कर गया है।

अतः बिहार की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संरचना के अनुरूप ही प्रतीत होती है।

- 1.2 वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2011-12 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय अखिल भारत के औसत का 34.0 प्रतिशत थी। यह अनुपात वर्ष 2015-16 में 35.0 प्रतिशत हो गया है। टिकाऊ विकास प्रक्रियाओं के कारण इन पाँच वर्षों में बिहार और भारत के बीच का फासला लगभग 1.0 प्रतिशत अंक तक घटा है।
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि-
- 2.1 पिछले दशक में वर्ष 2004-05 से 2014-15 के बीच स्थिर मूल्य (2004-05) पर राज्य की आय 10.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का धीमापन तथा अनेक प्रकार के वृहदार्थिक कारकों के कारण हाल के समय में (वर्ष 2011-12 से 2015-16) सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत हो गयी है। हालांकि यह वृद्धि दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दर (6.8 प्रतिशत) से अधिक रही है।
- 2.2 बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 की अवधि में 7.6 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 6.8 प्रतिशत से अधिक है। पिछले पाँच वर्षों (2011-12 से 2015-16) में स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011-12) प्राथमिक प्रक्षेत्र में अपेक्षित वर्षा नहीं होने के कारण 2.0 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। जबकि इसी अवधि में द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.4 प्रतिशत तथा 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 2.3 वर्ष 2015-16 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 3.27 लाख करोड़ रूपये था जिससे प्रतिव्यक्ति आय 29,190 रूपये होती है।

## तालिका क.2

**स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान  
(राशि करोड़ रूपये में)**

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (Provisional)	2015-16 (Quick)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-16)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	62067	68040	59516	59715	59145	-2.2
1.1	फसल	42608	47493	37107	35426	33601	-7.4
1.2	पशुधन	12028	12525	14008	15371	16298	8.5
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4187	4253	4330	4399	4473	1.7
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	3244	3768	4071	4518	4773	10.0
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	199	216	1386	629	688	42.6
	<b>प्राथमिक</b>	<b>62265</b>	<b>68256</b>	<b>60902</b>	<b>60343</b>	<b>59832</b>	<b>-2.0</b>
3.	विनिर्माण	14666	9714	18893	19010	23650	17.7
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	3659	4017	4128	5508	6341	15.2
5.	निर्माण	27017	25607	27261	27484	28991	2.1
	<b>द्वितीयक</b>	<b>45341</b>	<b>39339</b>	<b>50282</b>	<b>52001</b>	<b>58982</b>	<b>8.4</b>
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43904	46729	45683	64066	74087	14.6
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	43945	42775	60912	70667	15.1
6.2	होटल एवं जलपानगृह	2796	2784	2908	3154	3421	5.4
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	17545	20372	23473	25833	28241	12.6
7.1	रेलवे	2751	3346	3965	3959	3952	9.3
7.2	पथ परिवहन	8405	9962	11373	12676	14125	13.6
7.3	जल परिवहन	49	24	15	18	17	-21.2
7.4	वायु परिवहन	31	54	38	110	105	37.0
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	893	1043	1202	1343	1500	13.8
7.6	भंडारण	74	79	71	86	82	2.9
7.7	संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	5342	5863	6808	7642	8461	12.6
8.	वित्तीय सेवाएं	8839	9580	10273	10772	11295	6.3
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	28023	28686	29819	30928	32139	3.6
10.	लोक प्रशासन	13587	13350	12752	16090	15450	4.5
11.	अन्य सेवाएं	22193	25297	27478	34669	34279	12.6
	<b>तृतीयक</b>	<b>134092</b>	<b>144015</b>	<b>149478</b>	<b>182357</b>	<b>195491</b>	<b>10.4</b>
12.	आधार मूल्य पर कुल सकल राजकीय मूल्यवर्धन	<b>241698</b>	<b>251609</b>	<b>260662</b>	<b>294702</b>	<b>314306</b>	<b>7.1</b>
13.	उत्पादों पर कर	17169	19588	22638	26793	32672	17.4
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	14347	13650	16729	20443	13.5
15.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	<b>247144</b>	<b>256851</b>	<b>269650</b>	<b>304766</b>	<b>326535</b>	<b>7.6</b>
16.	जनसंख्या (करोड़ में)	10.51	10.67	10.84	11.01	11.19	1.6
17.	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु० में)	<b>23525</b>	<b>24068</b>	<b>24874</b>	<b>27675</b>	<b>29190</b>	<b>5.9</b>

स्रोत:- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

### 3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

- 3.1 वर्ष 2015-16 में राजस्व बचत 12507.16 करोड़ रूपए हुआ जबकि बजट में 11980.95 करोड़ रूपए अनुमानित था। वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा 12061.57 करोड़ रूपए हुआ जबकि बजट में 13584.46 करोड़ रूपए अनुमानित था, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित सीमा {सकल राज्य घरेलू उत्पाद 487316.00 करोड़ रूपये जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाईनांस डिविजन-I) द्वारा पत्र संख्या-(6) पी० एफ०/२००९ वोल्यूम-II दिनांक-16 अप्रील 2015 के आलोक में} 3.0 प्रतिशत के भीतर है एवं मात्र 2.48 प्रतिशत है।
- 3.2 वर्ष 2015-16 की वास्तविकी के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 96123.10 करोड़ रूपए हैं जो उस वर्ष के बजट अनुमान 103189.06 करोड़ रूपए से कम है। इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में राज्य सरकार के कर-भिन्न राजस्व एवं केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान मद में बजट अनुमान से कम राशि प्राप्त होना है।
- 3.3 वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ 25449.18 करोड़ रूपये थी जो उस वर्ष के बजट अनुमान 30875.00 करोड़ रूपये का 82.43 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 में राज्य के करेत्तर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ 2185.64 करोड़ रूपये हैं जो उस वर्ष के बजट अनुमान 3395.86 करोड़ रूपये का 64.36 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण पेंशन मद में झारखण्ड राज्य से अनुमानित राशि 1600.00 करोड़ रूपये में 175.07 करोड़ रूपये राशि प्राप्त होना था। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व में क्रमशः 20750.22 करोड़ रूपये एवं 1557.98 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी।

#### 4. संभावनाएं-

- 4.1 स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर वर्ष 2011-12 से 2015-16 में बिहार राज्य में औद्योगिक प्रक्षेत्र (द्वितीयक प्रक्षेत्र) में 8.4 प्रतिशत की विकास दर्ज की गयी है, परिणामस्वरूप, राज्य का समायोजित विकास संभव हो सकेगा ।
- 4.2 स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर वर्ष 2011-12 से 2015-16 में सेवा प्रक्षेत्र के व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट परिक्षेत्र (14.6 प्रतिशत), परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं (12.6 प्रतिशत) तथा वित्तीय सेवाएं (6.3 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है ।
- 4.3 चालू मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (487316 करोड़ रुपए) पर राजकोषीय घाटे का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 2.48 प्रतिशत रहने से राज्य पर सकल ऋण भार सीमित रहा है । वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिसीमा 3.00 प्रतिशत तक रहने की संभावना है ।

### तालिका क.3:- प्रमुख राजकोषीय सूचकों का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

अनु० क्र०	मदे	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	मदे	आगामी वर्ष	वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 में परिवर्तन (प्रतिशत)	वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2015-16 (वास्तविकी)	2016-17 (बजट अनुमान)		2017-18 (बजट अनुमान)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्व प्राप्तियाँ	96123.10	124590.24	राजस्व प्राप्तियाँ	137158.41	29.62	10.09
2	कर राजस्व (क+छ)	74371.86	88089.99	कर राजस्व (क+छ)	97327.45	18.45	10.49
	(क) संधीय करों में राज्य का अंश	48922.68	58359.72	(क) संधीय करों में राज्य का अंश	65326.34	19.29	11.94
	(छ) राज्य सरकार के कर-राजस्व	25449.18	29730.27	(छ) राज्य सरकार के कर-राजस्व	32001.11	16.82	7.64
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	2185.64	2358.11	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	2874.96	7.89	21.92
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	19565.60	34142.14	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	36956.00	74.50	8.24
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	18401.51	21272.30	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	23880.68	15.60	12.26
6	(क) ऋणों की वसूली	18.50	17.38	(क) ऋणों की वसूली	18.00	-6.05	3.57
	लोक ऋण (7+8)	18383.00	21254.92	लोक ऋण (7+8)	23862.68	15.62	12.27
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	17565.03	19299.37	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	21702.61	9.87	12.45
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अधिग्राह	817.97	1955.55	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अधिग्राह	2160.07	139.07	10.46
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	114524.61	145862.54	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	161039.09	27.36	10.40
10	आयोजना भिन्न व्यय	58595.83	72276.95	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	78818.46	23.35	9.05
11	राजस्व खाते पर जिसमें	53965.28	67980.56	राजस्व खाते पर जिसमें	73951.79	25.97	8.78
12	(क) व्याज भुगतान	7097.69	8178.82	(क) व्याज भुगतान	9591.35	15.23	17.27
12	(छ) पेशन	11850.36	16285.30	(छ) पेशन	19877.63	37.42	22.06
12	(ग) वेतन	14221.04	17723.37	(ग) वेतन	18009.89	24.63	1.62
13	पूंजीगत खाते पर (क+छ+ग+घ)	4630.56	4296.39	पूंजीगत खाते पर (क+छ+ग+घ)	4866.67	-7.22	13.27
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	3422.74	3269.45	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	3846.25	-4.48	17.64
	(छ) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अधिग्राह	702.12	804.94	(छ) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अधिग्राह	951.03	14.64	18.15
	(ग) पूंजीगत व्यय	36.27	103.71	(ग) पूंजीगत व्यय	23.89	185.94	-76.96
	(घ) ऋण एवं पेशनियाँ	469.43	118.29	(घ) ऋण एवं पेशनियाँ	45.51	-74.80	-61.53
14	आयोजना व्यय	53732.20	72419.32	स्कैम व्यय	81267.23	34.78	12.22
	(क) राज्य योजना	53484.97	71501.84	(क) वार्षिक स्कैम	80891.61	33.69	13.13
	(छ) के.प्र.यो.+के.यो.यो.	247.23	917.48	(छ) केन्द्रीय क्षेत्र स्कैम	375.62	271.10	-59.06
15	राजस्व खाते पर	29650.65	41960.22	राजस्व खाते पर	48651.03	41.52	15.95
16	पूंजीगत खाते पर	24081.55	30459.10	पूंजीगत खाते पर	32616.20	26.48	7.08
17	कुल व्यय (10+14)	112328.03	144696.27	कुल व्यय (10+14)	160085.69	28.82	10.64
18	राजस्व व्यय (11+15)	83615.94	109940.78	राजस्व व्यय (11+15)	122602.82	31.48	11.52
19	पूंजीगत व्यय (13+16)	28712.10	34755.49	पूंजीगत व्यय (13+16)	37482.87	21.05	7.85
20	राजस्व घाटा (18-1)	-12507.16	-14649.46	राजस्व घाटा (18-1)	-14555.59	17.13	-0.64
21	राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13छ)}	12061.57	16014.26	राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13छ)}	18112.00	32.77	13.10
22	प्राथमिक घाटा (21-12क)	4963.88	7835.44	प्राथमिक घाटा (21-12क)	8520.65	57.85	8.75
23	जी.एस.डी.पी.	487316.00	558808.65	जी.एस.डी.पी.	632180.00	14.67	13.13
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.48%	2.87%	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.87%	15.78	-0.03
25	व्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	7.38%	6.56%	व्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	6.99%	-11.10	6.52

### (ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण:-

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया। उक्त के आलोक में राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में समाप्त करना था और इसके पश्चात राजस्व अधिशेष बनाये रखना था। वर्ष 2008-09 से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत तक रखा जाना था। आर्थिक मंदी के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा इस लक्ष्य को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये क्रमशः 4.00 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत रखा गया था। वर्ष 2012-13 एवं आगे के वर्षों के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2016 (बिहार अधिनियम 9, 2016) से अपेक्षित संशोधन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है अगर राज्य की ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद का उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है तो 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्राप्त होगी और ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्राप्त होगी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से आगे के वर्षों का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की अधिसीमा माना गया है जबकि वर्ष 2016-17 से राज्य को राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तक की सुविधा उपलब्ध हो सकती है जिसके लिए भारत सरकार को वित्त लेखा 2015-16 की प्रति भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

## तालिका ख.1: राजकोषीय संकेतक-परिवर्त्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ रु० में)

क्र० सं०	मद	वास्तविकी	वास्तविकी	वास्तविकी	बजट अनुमान	लक्ष्य		
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	सकल घेरलू उत्पाद	343662.79	402282.99	487316.00	558808.65	632180.00	734277.07	852862.82
2	राजस्व बचत	6441.41	5847.56	12507.16	14649.46	14555.59	15283.37	16047.54
3	राजकोषीय धाटा	8351.94	11178.49	12061.58	16014.26	18112.00	22028.31	25585.88
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	64261.89	74570.47	88828.63	106009.16	125074.56	147102.87	172688.76
5	कर राजस्व	54789.79	57713.29	74371.86	88089.99	97327.46	111926.58	128715.57
6	सकल घेरलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	1.87	1.45	2.57	2.62	2.30	2.08	1.88
7	सकल घेरलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय धाटा	2.43	2.78	2.48	2.87	2.87	3.00	3.00
8	सकल घेरलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	15.94	14.35	15.26	15.76	15.40	15.24	15.09
9	सकल घेरलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	18.70	18.54	18.23	18.97	19.78	20.03	20.25

नोट:- 1. वित्तीय वर्ष 2014-15 के राज्य सकल घेरलू उत्पाद के आंकड़े का आधार योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र संख्या- रा०आ०(वि०) ०५/२०१२/१६२१ दिनांक-१२/११/२०१५ है।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के वास्तविकी में राज्य सकल घेरलू उत्पाद के आंकड़े का आधार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाईनांस डिविजन-I) के पत्र संख्या(6)पी००४८०/२००९ वोल्यूम-II दिनांक-१६ अप्रैल २०१५ है।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुमान में राज्य सकल घेरलू उत्पाद के आंकड़े का आधार योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र संख्या- रा०आ०(वि०)-०५/२०१२/१६११ दिनांक-१२/११/२०१५ है।

4. वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य सकल घेरलू उत्पाद के आंकड़े का आधार योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र संख्या- रा०आ०(वि०)/२०१२/२००२ दिनांक-१४/११/२०१६ है।

5. वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में राज्य सकल घेरलू उत्पाद के गणना का आधार वर्ष 2017-18 के आंकड़ों पर 16.15 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष वृद्धि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर की गयी है।

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लोक ऋण के वास्तविकी पर वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में जो ऋण प्राप्ति दिखायी गयी है उसमें से ऋण वापसी को घटाकर जो राशि होगी वह मानी गयी है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक लोक ऋण वर्ष के अन्त में अवशेष राशि के लिए वर्ष 2016-17 में जो राशि अवशेष होगी उसमें राजकोषीय धाटे के लिए कर्णाकित राशि को शामिल कर लोक ऋण का वर्ष के अन्त में अवशेष माना गया है।

## राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

### (1) राजस्व प्राप्तियाँ :-

- (क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 65326.34 करोड़ रूपए अनुमानित है जो कि भारत सरकार के बजट अनुमान के आधार पर है। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 32001.12 करोड़ रूपए है जिसमें वाणिज्यकर विभाग से 25000.00 करोड़ रूपये, निबंधन विभाग से 4600.00 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग से 1800.00 करोड़ रूपये एवं भू-राजस्व विभाग से 600.00 करोड़ रूपये का संग्रहण किया जायेगा।
- (ख) करेत्तर राजस्व - वर्ष 2017-18 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 2874.96 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें मुख्यतः खनन एवं भूतत्व मद से 1350.00 करोड़ रूपये, ब्याज प्राप्ति मद में 619.25 करोड़ रूपये, भारत सरकार से चुनाव मद में 255.37 करोड़ रूपये एवं 200.00 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि प्राप्त होनी है।
- (ग) कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2016-17 (पुनरीक्षित अनुमान) में 27896.67 करोड़ रूपये अनुमानित है और 2017-18 में 32001.12 करोड़ रूपये प्राप्त होना अनुमानित किया गया है। कर राजस्व प्राप्ति में वर्ष 2016-17 (पुनरीक्षित अनुमान) में राज्य के कर राजस्व का हिस्सा 21.87 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2017-18 में 23.33 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है।
- (घ) करेत्तर राजस्व - वर्ष 2017-18 में करेत्तर राजस्व 2874.96 करोड़ रूपए होने की संभावना है जो वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान 2384.38 करोड़ रूपये से 490.58 करोड़ रूपये अधिक है।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :-

वर्ष 2017-18 में पूंजीगत प्राप्तियाँ 23880.68 करोड़ रुपए होने की संभावना है जो वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान 19488.54 करोड़ रुपये से 4392.14 करोड़ रुपये अधिक है।

वर्ष 2017-18 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी-

- (क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम के मद में 2160.07 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं हेतु है।
- (ख) बाजार ऋण - वर्ष 2017-18 में बाजार ऋण के अंतर्गत 19497.06 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से की जाती है।
- (ग) वित्तीय संस्थानों से उधार - वर्ष 2017-18 में नाबाड़ से 2100.00 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर प्राप्त होता जाता है। यह ऋण का सबसे सस्ता स्रोत है।
- (घ) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली - 31 मार्च 2016 तक राज्य का 20857.73 करोड़ रुपये उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग (15445.86 करोड़ रुपए) ऊर्जा प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उधार पर बकाया है। वर्ष 2017-18 में ऋणों की वसूली अन्तर्गत 18.00 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- (ङ) बकाया दायित्व - लोक ऋण तथा अन्य दायित्व - वर्ष 2015-16 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2016 की समाप्ति पर लोक ऋण 88828.63 करोड़ रुपये है। राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशगियाँ) 27748.98 करोड़ रुपये के हैं। इन दोनों को शामिल करने के उपरांत कुल बकाया दायित्व 116577.61 करोड़ रुपये का है।

## तालिका ख.2: राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(राशि करोड़ रूपये में)

अनु० क्र.	प्रवर्ग	वर्ष 1 अप्रैल 2015 को शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति			वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
			पूर्ववत्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववत्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववत्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
			2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्तरिक ऋण										
(i)	बाजार उधार	37951.06	11500.00	15344.61	19497.06	1266.89	895.32	1092.21	48184.17	62633.46	81038.31
(ii)	एन०एस०एस०एफ० को जारी विशेष प्रतिभूतियां	22906.69	3306.54	1800.00	0.00	1281.68	1547.47	1768.75	24931.54	25184.07	23415.32
(ii)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	4756.3	1203.98	2100.00	2100.00	666.59	809.56	950.97	5293.69	6584.13	7733.16
(iv)	बन्ध पत्र	226.52	1554.52	0.00	0.00	207.58	2.10	2.10	1573.46	1571.36	1569.26
(v)	अन्य ऋण	7.45	0.00	54.76	105.55	0.00	15.00	32.22	7.45	47.21	120.54
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आन्तरिक ऋण	65848.02	17565.04	19299.37	21702.61	3422.74	3269.45	3846.25	79990.32	96020.24	113876.60
2	केन्द्र से ऋण	8722.45	817.97	1955.55	2160.07	702.11	804.94	951.03	8838.31	9988.92	11197.96
	कुल लोक ऋण	<b>74570.47</b>	<b>18383.01</b>	<b>21254.92</b>	<b>23862.68</b>	<b>4124.85</b>	<b>4074.39</b>	<b>4797.28</b>	<b>88828.63</b>	<b>106009.16</b>	<b>125074.56</b>
3	लोक लेखा (अल्पबचत, भविष्य निधि इत्यादि)	24485.35	37647.21	21889.66	29677.48	34383.58	23274.73	31927.48	27748.98	26363.91	24113.91
	योग	<b>99055.82</b>	<b>56030.22</b>	<b>43144.58</b>	<b>53540.16</b>	<b>38508.43</b>	<b>27349.12</b>	<b>36724.76</b>	<b>116577.61</b>	<b>132373.07</b>	<b>149188.47</b>

### (3) कुल व्यय :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूँजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान अनुसार स्कीम व्यय के राजस्व व्यय 48651.03 करोड़ रूपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय 73951.79 करोड़ रूपए अनुमानित है।

(क) राजस्व लेखा - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा व्याज भुगतान शामिल है।

- (i) वेतन - वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 18009.89 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से वेतन लोक उपक्रम एवं अन्य संस्थाओं में कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि 16322.20 करोड़ रूपये जिसमें विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान के रूप में 3243.17 करोड़ रूपये भुगतान किया जाना अनुमानित है।
- (ii) ब्याज भुगतान - वर्ष 2017-18 में 9591.35 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है।
- (iii) पेंशन - पेंशन मद में वर्ष 2017-18 में 19877.63 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।
- (ख) पूँजीगत लेखा - पूँजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है।
- (i) पूँजीगत परिव्यय - राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में योजना मद में 30003.33 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 103.71 करोड़ रूपये व्यय का अनुमान है।
- (ii) लोक ऋण - वर्ष 2016-17 में लोक ऋण में 4074.39 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें राज्य के आंतरिक ऋण के विरुद्ध 3269.45 करोड़ रूपए की राशि और केन्द्र सरकार से लिए गए कर्ज तथा अग्रिम के मद में 804.94 करोड़ रूपए का व्यय अनुमान है।
- (iii) उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2016-17 में उधार तथा अग्रिम मद में 574.06 करोड़ रूपया अनुमानित है जिसमें गैर-योजना मद में 118.29 करोड़ रूपये और योजना मद में 455.77 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।

#### (4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) :

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र रा० आ० (विविध)-05/2012/1611 दिनांक-12.11.2015 के आलोक में वर्ष 2016-17 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 558808.65 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा ऋण अधिसीमा की जो सूचना प्रेषित की गयी है उसमें राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 540556.00 करोड़ रुपये का माना गया है। वर्ष 2015-16 की वास्तविकी में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 487316.00 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि भारत सरकार द्वारा ऋण अधिसीमा की सूचना के आधार पर है।

#### (5) संवहनीयता का निर्धारण :

(i) सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्ट: राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 23.25 प्रतिशत है तथा वर्ष 2017-18 में इसके 24.02 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 5.50 प्रतिशत है और यह वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 5.06 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 10.89 प्रतिशत है और यह वर्ष 2017-18 बजट अनुमान में 10.33 प्रतिशत संभावित है।

वर्ष 2016-17 पुनरीक्षित अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 6.64 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 6.99 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 24.12 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के अनुसार 23.29 प्रतिशत रहने की संभावना है।

(ii) गैर-योजना राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - वेतन मद में वर्ष 2017-17 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 17755.96 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 18009.89 करोड़ रुपये दिया जाना अनुमानित किया गया है। पेंशन मद में वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 16285.35 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 19877.63 करोड़ रुपये दिया जाना अनुमानित है।

राज्य द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। ब्याज मद में वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 8468.80 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2017-18 में 9591.35 करोड़ रुपये दिया जाना अनुमानित है।

(iii) पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सुजन के लिये उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व बचत की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार राजस्व बचत की स्थिति बनाये रखी गई है। सभी पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(iv) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - वर्ष 2017-18 में पेंशन मद में 19877.63 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2017-18 से आगे के वर्षों के लिए 16 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है।

### तालिका ख.3: अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2017-18	19877.63
2018-19	23058.05
2019-20	26747.34
2020-21	31026.91
2021-22	35991.22
2022-23	41749.81
2023-24	48429.78
2024-25	56178.55
2025-26	65167.12
2026-27	75593.86

#### (ग) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण:-

(1) राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :- राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। पूर्व वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 10.09 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 7.64 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। करेतर राजस्व में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 21.92 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य का राजस्व बचत वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) 14649.46 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2017-18 में 14555.59 करोड़ रूपए अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) 16014.26 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2017-18 में 18112.00 करोड़ रूपए अनुमानित है। यह राजकोषीय घाटा वर्ष 2016-17 के (बजट अनुमान) राज्य सकल घरेलू उत्पाद 558808.65 करोड़ रूपये का 2.87 प्रतिशत है, वर्ष 2017-18 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 632180.00 करोड़ रूपये का 2.87 प्रतिशत है जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अन्तर्गत है।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति :- चूंकि भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम 2017-18 में लागू किया जायेगा। राज्य सरकार का भी निर्णय है कि बिहार राज्य में जी०एस०टी० अधिनियम को राज्य के विधान मंडल से पारित करा कर लागू कराये जायेंगे।

(अ) व्यय नीति :- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक स्कीम व्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में लागू किए गए कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार है :-

(क) परिणाम बजट :- सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शनी वाली विवरणी “परिणाम बजट” की पहल वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 के लिए परिणाम बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) जेण्डर बजट :- महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2008-09 से

प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 हेतु भी जेण्डर बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) **बाल कल्याण बजटः-** राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का अनुपात महत्वपूर्ण है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है। बाल कल्याण बजट के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्लौरा अंकित होता है। बाल कल्याण बजट वर्ष 2013-14 से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 हेतु भी बाल कल्याण बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) **उपलब्धि प्रतिवेदनः-** वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गयी है। उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत कराया जाता है। वर्ष 2016-17 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) **ऋण एवं आकस्मिक दायित्वः** वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पूँजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूँजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है। आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निक्षेप निधि का गठन किया गया है। 31 मार्च 2016 तक इस निक्षेप निधि में जमा की गयी राशि 3457.64 करोड़ रुपये की है। विवरणी निम्नलिखित है-

#### तालिका ग.1: निक्षेप निधि विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1 अप्रैल 2015 को शेष	वर्ष 2015-16 में निक्षेप निधि में निवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2016 को अवशेष
निक्षेप निधि	2743.04	491.84	222.76	3457.64

**(4) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ:**

- (1) सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू किया जाना है जिसके तहत बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय का क्रियान्वयन किया जाना है-
- (i) आर्थिक हल, युवाओं को बल- बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की गयी है जिसमें स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ कर दी गयी है। बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016 को 7 सितम्बर 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2017 में सभी जगह सुविधा मुहैया हो जायेगी।
- (ii) आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार- महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था 20 जनवरी 2016 से लागू कर दी गयी है।
- (iii) हर घर बिजली- हर घर बिजली लगातार की उपलब्धता का कार्यक्रम 15 नवम्बर 2016 से शुरू कर दिया गया है। दिसम्बर 2018 तक सभी घरों को बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- (iv) हर घर नल का जल- बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले इसके लिए सभी घरों में पाईप जल की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। जिसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना है। ये सभी योजनाएं 27 सितम्बर 2016 से शुरू कर दी गयी हैं।
- (v) घर तक, पक्की गली-नालियाँ- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क-विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा

जायेगा। सभी गाँव एवं शहरों में गली नाली का निर्माण कराया जाना है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना को 28 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ कर दिया गया है।

- (vi) **शौचालय निर्माण**, घर का सम्मान- खुले शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है जिसमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना है, जिसे 27 सितम्बर 2016 से प्रारंभ कर दिया गया है।
- (vii) अवसर बढ़े, आगे पढ़ें- जिला एवं अनुमंडल में उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जा रही है जिसमें प्रत्येक जिला में जी०एन०एम० स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिला में पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में ए०एन०एम० स्कूल की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं राज्य में पाँच और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जायेगी। कुछ योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। शेष बची हुई परियोजनाओं का क्रियान्वयन वर्ष 2017-18 से शुरू कर दिया जायेगा।
- (2) राजकोषीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय, व्यय एवं राजस्व के संग्रहण से संबंधित है। सरकार की प्राथमिकता करों के आधार को बढ़ाना और अधिक से अधिक कर संग्रहित हो यह सुनिश्चित करना है।
- (3) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में कमी कर वार्षिक स्कीम का व्यय बढ़ाना, जिससे विकासात्मक कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा सके।

## (5) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i) राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करना राजकोषीय नीति का उद्देश्य है।

- (ii) कृषि के विकास की दर में वृद्धि बनी रहे इस हेतु विशेष ध्यान दिए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा ।
- (iii) करों की दरों में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी ।

**(6) नीति मूल्यांकन** : बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2015-16 की वास्तविकी, वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान, वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अधिकाधिक पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

\*\*\*\*\*

(c) Copyright 2017 Finance Department, Govt. Of Bihar

PRINTED AT SARASWATI PRESS LTD. (GOVT. OF WESTBENGAL ENTERPRISE), KOLKATA 700056